पंचम माला, खंड 9, अंक 19 बुधवार, 8 दिसम्बर, 1971/17 अग्रहायण, 1893 (शक)
Fifth Series, Vol. IX, No. 19 Wednesday, December 8, 1971/Agrahayana 17, 1893 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

[खण्ड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. IX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : **One Rupee**

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is Translated version in a summary form of Lok-Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 19, बुधवार, 8 दिसम्बर, 1971/17 अग्रहायण, 189 (शक)

No. 19, Wednesday, December 8, 1971/Agrahayana 17, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Page
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	1—3
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	3
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members' Bill and Resolutions	
आठवां प्रतिवेदन	Eighth Report	3
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	4
दूसरा तथा तीसरा प्रतिवेदन	Second and Third Reports	4
मैसर्स ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा तालाबन्दी के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 216 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to SQ No. 216 re Lock out by M/s Braithwait and Co. (India) Ltd.	4
विधेयक-पुरःस्थापित	Bills Introduced	5
1. आपात जोखिम (माल) बीमा विधेयक	1. Emergency Risks (Goods) Insurance Bill	5
2. आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा विधेयक	2. Emergency Risks (Undertakings) Insurance Bill	5
दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक	Gode of Criminal Procedure Bill	5—6
संयुक्त समिति में एक सदस्य की नियुक्ति के बारे में राज्य सभा की सिफारिश से सहमति	Concurrence in Rajya Sabha recommendation to appoint a Member of Joint Committee	5—6
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) 1971-72	Demands for Supplementary Grants (Railways), 1971-72	6—13
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	6
श्री राम सहाय पांडे	Shri R. S. Pandey	6

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री राज राज सिंह देव	Shri R. R. Singh Deo	7
श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट	Shri Narendra Singh Bisht	7
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	7
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	7
श्री नरसिंह नारायण पांडे	Shri Narsingh Narain Pandey	7
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra	7—8
प्रो० नारायण चन्द पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar	8
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandraker	8
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh	9
श्री भागीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar	9
श्री धनशाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan	9
श्री के० हनुमन्तैया	Shri K. Hanumanthaiya	9—12
मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषद विधेयक	Manipur (Hill Areas) District Councils Bill	13—18
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	13
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	13—16
श्री दशरथ देव	Shri Desaratha Deb	16
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari	16—17
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	17—18
आपात जोखिम (माल) बीमा विधेयक	Emergency Risks (Goods) Insurance Bill	18—24
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	18
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	18—19
श्री ज्योतिर्मय बासु	Shri Jyotirmoy Bosu	19—20
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	20—21
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	21
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder	21
डा० कैलाश	Dr. Kailash	21
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	21—22
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	22

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
खण्ड 2 से 17 तथा खण्ड 1	Clauses 2 to 17 and 1	22—24
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended	22—24
नियम 388 के अधीन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ	Motion under rule 388-adopted	25
आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा विधेयक के बारे में नियम 66 के परन्तुक का निलम्बन	Suspension of proviso to rule 66 in respect of Emergency Risks (Undertaking) Insurance Bill	25
आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा विधेयक	Emergency Risks (Undertakings) Insurance Bill	25—28
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	25
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	25
श्री ज्योतिर्मय बासु	Shri Jyotirmoy Bosu	25
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan	26
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	26
खण्ड 2 से 18 तथा खण्ड 1	Clauses 2 to 18 and 1	27
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	28

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 8 दिसम्बर, 1971/17 अग्रहायण, 1893 (शक)
Wednesday, December 8, 1971/Agrahayana 17, 1893 (Saka)

लोक-सभा दस बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Ten of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

सभा-पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

गृह मन्त्रालय **और कार्मिक** विभाग **में राज्य** मन्त्री (**श्री राम निवास मिर्धा**) : मैं निम्न-लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

सीमा सुरक्षा बल (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 और अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 आदि के अन्तर्गत अधिसूचना

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक, 6 नवम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5087 में प्रकाशित हुए थे । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०—1236/71]

(2) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1774 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनाँक, 6 मार्च, 1971 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 317 का शुद्धि-पत्र दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—1237/71]

(3) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित, संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अन्तर्गत मैसूर सामान्य सेवा (रजिस्ट्रीकरण तथा स्टाम्प शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियम, 1971 जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना, संख्या जी० एस० आर० 275 में प्रकाशित हुए थे तथा एक

व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—1238/71]

मैसूर अग्निशामक बल अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(4) (एक) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर अग्निशामक बल अधिनियम, 1964 की धारा 39 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मैसूर की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1717 की एक प्रति जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 14 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०—1239/71]

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण के साथ साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—1240/71]

बम्बई सिनेमा अधिनियम के अंतर्गत गुजरात में लागू की गई गुजरात सरकार की अधिसूचनाएं

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं निम्नलिखित पत्र-सभा पटल पर रखती हूं :

(क) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी, दिनांक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित, बम्बई सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 9 की उपधारा (5) के अन्तर्गत गुजरात सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) बम्बई सिनेमा (गुजरात दूसरा संशोधन) नियम, 1971 जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 1 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एच/जी/146/बीसीआर/3369/3973-क में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—1241/71]

(दो) बम्बई सिनेमा (गुजरात तीसरा संशोधन) नियम, 1971, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एच०/जी/153 बीसीआर/1966/1552-क में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—1241/71]

(ख) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—1242/71]

संविधान के अनुच्छेद 359 के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

संविधान के अनुच्छेद 359 के खंड (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1843 की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या** एल० टी०—1243/71]

पंजाब मोटरगाड़ी कराधान अधिनियम 1924 के अंतर्गत अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 15 जून, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित पंजाब मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1924 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी पंजाब सरकार की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 50/पी० ए० 4/24/एस० 3/71 की एक प्रति जो पंजाब सरकार राजपत्र दिनांक 11 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी० 1244/71]

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे, राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अन्तर्गत मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य सभा 4 दिसम्बर, 1971 को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 29 नवम्बर, 1971 को पास किये गये विश्व—भारती (संशोधन) विधेयक, 1971 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई हैं।"

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

आठवां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

Committee on the Welfare of scheduled Castes and Scheduled Tribes

दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ :

(1) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय-इंडियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में समिति के दसवें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(2) भूतपूर्व समाज कल्याण विभाग तथा शिक्षा और युवक सेवा कार्य मन्त्रालय-अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिये होस्टल सुविधाओं के संबंध में समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

मैसर्स ब्रैथवेट एंड कंपनी (इन्डिया) लिमिटेड द्वारा तालाबंदी के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 216 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. No. 216 RE : LOCK-OUT BY M/S BRAITHWAITE AND CO. (INDIA) LTD.

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : 24नवम्बर, 1971 को तारांकित प्रश्न सं० 216 के बारे में पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने सदन को भूल से यह सूचित किया था कि ऐंगस वर्क्स आफ ब्रैथवटे एण्ड कंपनी में ताला-बन्दी हुई उस समय समझौता वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई थी। खेद है कि मुझसे अनजान में ऐसी गलती हो गई। मैं अपने वक्तव्य को सही करते हुए यह कहता हूं कि बोनस के मामले पर समझौता वार्ता प्रगति पर थी तब उस कारखाने के कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से अपने कार्य को छोड़कर कारखाने के महाप्रबन्धक के समक्ष हिंसात्मक प्रदर्शन किया और उसे चोट भी पहुँचाई। कर्मचारियों द्वारा इस घोर अनुशासन हीनता और हिंसा के फलस्वरूप प्रबन्धकों ने ताला-बन्दी घोषित कर दी हालांकि समझौता वार्ता चल ही रही थी। यह ताला बन्दी कर्मचारियों की व्यापक अनुशासन हीनता और हिंसात्मक कारंवाई के फलस्वरूप घोषित की गई थी, यह तथ्य कि समझौता वार्ता जारी थी प्रबन्धकों की परिस्थितियों को देखते हुए, यह इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। फिर भी, चूंकि एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया था और पहले दी गई जानकारी सही नहीं थी इसलिए स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैं यह वक्तव्य दे रहा हूँ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह कारखाना 3 दिसम्बर, 1971 को पुन: चालू हो गया है।

विधेयक पुरःस्थापित

BILLS INTRODUCED

आपात जोखिम (माल) बीमा विधेयक

Emergency Risks (Goods) Insurance Bill

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आपात जोखिम (माल) बीमा विधेयक 1971 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आपात जोखिम (माल) बीमा विधेयक 1971 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा विधेयक

Emergency Risks (Undertakings) Insurance Bill

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा विधेयक, 1971 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा विधेयक, 1971 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE BILL

संयुक्त समिति में एक सदस्य की नियुक्ति के बारे में राज्य सभा की सिफारिश से सहमति

Concurrence in Rajya Sabha recommendation to Appoint a Member to joint Committee

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

'कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा दण्ड प्रक्रिया से सम्बन्धित विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक सम्बन्धी

दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में श्री घनश्याम भाई द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करें तथा संकल्प करती है कि उक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उक्त समिति में श्री करन सिंह यादव को नामनिर्दिष्ट किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा दण्ड प्रक्रिया से सम्बन्धित विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में श्री घनश्याम भाई द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त करें तथा संकल्प करती है कि उक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उक्त समिति में श्री करन सिंह यादव को नामनिर्दिष्ट किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे)—1971-72

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS) 1971-72

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : I congratulate the Government for fulfilling the asurances regarding Conversion of metre gauge lines into broad gauge line. But I am sorry to state that the dismantled S. S. Railway had not been restored. This is an important line. There are other light railways which are not included in the conversion programme. Delhi-Kanpur and Mugalsari-Hawra lines should be electrified.

Banaras to Bhatni is a neglected area. This line should be converted into broad gauge. A side line to Assam from Banaras via Ballia and Chhapra should be kept ready for military uses.

The low-paid employees of the Railways should be given proper treatment so as to engender confidence in them. If this is done, they will do their work honestly in this time of emergency.

अध्यक्ष महोदय : मेरे सम्मुख कई वक्ताओं के नाम हैं। केवल आधा घण्टा बाकी है और मैं जितने अधिक सदस्यों का समावेश कर सकता हूं करूंगा। इसके अतिरिक्त आपात बीमा आदि से सम्बन्धित दो विधेयकों पर चर्चा आज होना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान युद्ध की स्थिति को देखते हुए इनका लागू किया जाना आवश्यक है।

संसद कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : इन विधेयकों को जितना शीघ्र हो सके लिया जाना चाहिए क्योंकि देरी करने से बहुत से लोग बीमे का लाभ नहीं उठा सकेंगे। फिर अभी इन विधेयकों को राज्य सभा में भी जाना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं इनमें अधिक समय नहीं लगेगा। यह एक आपात स्थिति सम्बन्धी उपाय है। हम इन विधेयकों पर 12 बजे चर्चा शुरू करेंगे।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : So far as the railways are concerned, Madhya Pradesh is the most neglected State. Keeping this in mind, a special treatment should be given to this State and more railway lines should be laid there.

श्री राज राज सिंह देव (बोलनगरी) : बहुत समय से बिलमागढ़-तलचर और जाखपुरा-बोसपानी के बीच रेलवे लाइन की मांग की जा रही है। इन लाइनों के बनने से पारादीप बन्दरगाह और पास हो जायेगा और कोयला आदि की ढुलाई में सुविधा होगी।

मंत्री महोदय ने बारगढ़ और बोलनगीर में दो पुलों का आश्वासन दिया था पर अनुदानों की मांगों में उनका कोई जिक्र नहीं किया गया है।

Shri Narendra Singh Bisht (Almora) : I want to draw the attention of the Government to the eight hill districts of Uttar Pradesh which have constantly been neglected in so far as Railway facilities are concerned. It is my suggestion that metre gauge lines upto Tanakpur, Ramnagar and Kathgodam should be linked with broad gauge lines.

Secondly, hilly districts of Uttar Pradesh—Uttra Kashi, Almora, Chimoli, Garhwal Tehri, Nainital and Pithoragarh—should be connected with Railway lines as has been done in the case of Simla. Survey of Railway line between Tanakpur and Bageshwar has been conducted many times but no action has been taken so far. It is my submission that Government should do the needful considering its strategic importance.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : I know the Railway Minister cannot do any thing unless the Planning Commission gives clearance. At this time, instead of making any demand I just want to give a suggestion that the mis management in the Railways should be removed. At the time of present crises if the Railway employees do not work properly, this enterprise will suffer a great loss. I can give an example. When D. S. system was introduced in North Eastern Railway, we requested to the Railway Minister to create a Post of D. S. at Sonepur. But the Railway Minister appointed an Area Manager there, who is of no use. So it is my submission that Sonepur being an important place, a Deputy D. S. may be appointed in place of Area Manager to set the things right.

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : There is great shortage of fodder for cattle in our State. The result is that they are on the verge of extinction. Arrangement for wagons was made to bring fodder from other States but the number of wagons is not sufficient. I appeal to the Hon. Minister to provide more wagons to carry fodder to the needy areas.

Shri Nar Singh Narain Pandey (Gorakhpur) : It was said earlier that a survey would be conducted of Railway lines from Barabanki to Katihar to convert it into broad gauge line. The hon. Minister had stated on 23rd September that this would be included in the Fourth Plan. He talks of equitable distribution but not a single line has been converted into broad gauge line in Uttar Pradesh. In his letter dated 29th June, the Hon. Minister wrote "It has been mentioned in the MP's letter that the conversion of one Viramgam-Okha line has been taken up. This is not correct. The conversion of this Section has not been sanctioned." I want to ask from the Hon. Minister as to why those lines have been taken along with new lines which have not been sanctioned.

No action is being taken in respect of those lines the survey of which had been carried out and the report submitted. Is it equitable distribution.

Today, new sophisticated equipments are being manufactured in Signal Workshop but there is apprehension that it may be shifted to some other place.

I want that the Hon. Minister should stick to his promise regarding converting the Barabanki-Katihar line and Katihar-Muzaffarpur line into broad gauge lines. It is not proper to include those lines in the Supplementary Grants which have not been sanctioned. With these words, I support the demand.

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : Since a large number of passengers travel from Dhanbad to Delhi and Calcutta, there should be no objection in halting of the Rajdhani Express there.

Secondly, no direct train has been introduced from Patna to Darbhanga and Darbhanga to Patna despite many requests.

Thirdly, there is need of broad gauge line from Samastipur to Raxual. It may run *via* Muzaffarpur or Darbhanga. Survey thereof has been carried out. This should be taken up.

The Station of Madhubani is still in an undeveloped state despites the fact that Madhubani is a Headquarters and offices and factories are located there. Nothing has been done in this respect despite considerable correspondence held for the purpose. We talk of electrification in every village, but firstly every station should be electrified. Provision for constructing broad gauge line from Barauni to Katihar should made. It is my submission that a passenger train should be introduced between Pandaul and Lohat on North-Eastern Railway.

The route of Assam Mail, which runs between Barauni and Delhi, is likely to be diverted due to construction of Farakka Barrage line. I want that this facility should not be taken away as it serves North Bihar. The Hon. Minister has complained that he receives a large number of letters from Members of Parliament. The Hon. Minister should not object to this. He should rather encourage this tendency.

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीर पुर) : प्रतिरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए भी हिमाचल प्रदेश की हमेशा उपेक्षा की गई है, अकेले कांगड़ा जिले से ही बड़ी संख्या में लोग सेना में भर्ती हैं, जहां तक इस क्षेत्र का सम्बन्ध है, जवानों को संचार साधनों के अभाव में घर जाने में बड़ी कठिनाई होती है। मैं बार-बार यह कहता आया हूं कि दिल्ली और होशियारपुर के बीच सीधी रेल गाड़ी चलाई जाये ताकि काश्मीर मेल में भीड़ कम हो। मार्ग में व्यास नदी होने के कारण जवानों को ज्वालामुखी रोड पर रेल गाड़ी द्वारा पठानकोट जाना होता है और फिर अपने स्थानों में जाने हेतु दिल्ली जाना पड़ता है। अतएव होशियारपुर और दिल्ली के मध्य नई रेल गाड़ी सेवा आरम्भ करने से हमीरपुर तहसील की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

दूसरे, मैं अनुरोध करता रहा हूँ कि नांगल डैम एक्सप्रैस रेल गाड़ी की गति बढ़ाई जाये परन्तु इसकी गति केवल 15 मिनट बढ़ाई गई है जबकि सदर्न एक्सप्रैस रेल गाड़ी की गति 10 घटे बढ़ाई गई है। हमारे लिए यह एक भारी विडम्बना है।

अन्त में, मेरा यह कहना है कि नांगल डैम को जाने वाली रेलवे लाईन उना तक बढ़ाई जाये। मेरी इच्छा है कि व्यास नदी पर पोंग बांध और सतलुज नदी पर नांगल बांध को रेलवे द्वारा जोड़ा जाये।

Shri Chandulal Chandrakar (Durg) : Despite Madhya Pradesh being a large State, there is no Railway Headquarter there. A number of trains pass from there. Therefore, a Railway Headquarter should be set up there.

There is so much talk that the economic condition of tribal pople should be improved and all the mineral resources fully deploited. Bastar has teak wood worth Rs. 50 crores as well as various kinds of minerals. There is a demand to connect Balladillan with Ghagra. Madhya Pradesh did not get a fair deal from the Government because there is no Central Minister from Madhya Pradesh. There are metre gauge lines covering about 702 miles. Efforts should be made to convert these lines into broad gauge lines.

कुछ माननीय सदस्य **खड़े हुए** --

अध्यक्ष महोदय : आपको अपने सचेतकों के द्वारा अनुरोध करना चाहिए, यदि सभी इस प्रकार खडे होंगे तो हम इस वाद-विवाद को किस प्रकार समाप्त कर सकेंगे ? यह तो अनुपूरक बजट है परन्तु इसका समय काभी बढ़ा दिया गया है।

Shri Achal Singh (Agra) : For the last many years, I have been writing for a Flag Station berween Parkham and Achnera. The distance between these two stations is 10 miles and the people of villages experience great difficulty in going from one place to the other. I wish the Hon. Minister to look into this matter.

Shri Bhagirath Bhanwar (Jhabua) : There is a provision for constructing Railway yard in Mhow in the Supplementary demands. It is my submission that the metre gauge lines between Mhow to Ratlam and Ratlam to Khandwa *via* Mhow should be converted into broad gauge lines. Survey of Dhoad, Jhabua, Garh-Indore lines and Baroda, Kota, Udaipur, Alirajpur Khargon and Khandwa lines have been carried out. The construction work should now be started there, so that industries etc. are set up and Adivasi labourers may get employment. Keeping in view the importance of Ratlam, the metre gauge line between Ratlam and Khandwa should be converted into broad gauge.

Shri Dhan Shah Pradhan (Shahdol) : The district Shahdol has deposits of huge quantity of Coal but there is shortage of wagons. Therefore, arrangement should be made to provide more wagons. Also, the Utkal Express, which starts from Delhi, should be run daily. A broad gauge line from Satna to Singroli *via* Rewa should be constructed. Railway trains get struck up for seven hours at Shahdol and Katni. Arrangements should be made to see that these trains are kept moving.

रेल मंत्री (श्री के० हनुमंतैया) : इन अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में सदस्यों ने अपने कई सुझाव दिए हैं, ऐसे सुझाव पहले भी इस सभा में दिये गये थे। उनमें से अधिकांश सुझावों पर अमल किया गया है, यदि मैं नई रेलवे लाईन चालू करने, छोटी लाईनों को बड़ी लाईनों में बदलने तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में समर्थ होता तो मुझे प्रसन्नता होती। मुख्य समस्या ससाधनों की अत्यधिक कमी है। समय आने पर इसकी उपलब्धता होने की स्थिति में उपरोक्त कार्य अवश्य किये जाएंगे।

कई सदस्यों ने कहा है कि अनुपूरक माँगों को लाने की क्या आवश्यकता थी, मैंने 24 मई, 1971 को अपने बजट सम्बन्धी भाषण में कहा था कि इन तीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में आंकड़े तथा स्पष्टीकरण मांगे गये हैं जो तीन महीने में प्रस्तुत किये जाएंगे, तब मैं अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करूंगा। अब सर्वेक्षण तथा आर्थिक अध्ययन का कार्य पूरा हो गया है जिसके कारण हमने इसको क्रियान्वित करने का निश्चय किया है।

एक माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो हम कर रहे हैं क्या वह सुनियोजित आधार पर हो रहा है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि रेलवे ने 15 वर्षों का कार्यक्रम बनाया है और उसी के अनुसार कार्य हो रहा है। यह भी सुनिश्चित कर लिया गया है कि अब छोटी लाईनें नहीं बिछाई जायेंगी।

रेलवे प्रशासन माननीय सदस्यों द्वारा की गई मांगों पर विचार कर रहा है और प्रत्येक राज्य के साथ समान न्याय के सिद्धांत पर बर्ताव किया जायेगा। चार राज्यों, यथा केरल, मैसूर, आंध्र प्रदेश और गुजरात में तीन छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्य इसी नीति के अनुरूप है। जहां तक बिहार और उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, वाराणसी-भटनी-गोरखपुर, गोरखपुर-गोंडा-बाराबंकी और भटनी-बरौनी-कटिहार सैक्शन में छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलने का कार्यक्रम रेलवे की योजना में शामिल है। इनके बारे में सर्वेक्षण तथा आर्थिक अध्ययन का प्रतिवेदन मिलने के उपरांत ही कार्य किया जायेगा।

मद्रास-विजयवाड़ा लाईन का विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में शीघ्र ही एक संगठन स्थापित किया जायेगा और विस्तृत प्राक्कलन तथा विनिर्देश तैयार किये जायेंगे। मद्रास-

विजयवाड़ा के लिए एक अलग प्रशासन के ढांचा अथवा संगठन बनाये जाने की आवश्यकता है, इस अनुपूरक मांग में इस संगठन को बनाये जाने तथा विस्तृत विनिर्देश, टेंडर कागजात आदि तैयार किये जाने की व्यवस्था है । मैं रेलवे बोर्ड को बंगलौर से गुंटाकल तक जाने वाली बड़ी लाईन को हैदराबाद तक बढ़ाने की व्यवहार्यता की जांच करने को कहूंगा ।

माननीय सदस्य ने डी०बी०के० लाईन पर समय से पूर्व पुनः रेलवे लाईनें बिछाने की ओर ध्यान दिलाया है । ऐसा निम्नलिखित कारणों से किया गया है : (क) 1.67 प्रतिशत तक अत्यधिक ढलान का होना, (दो) 8 डिग्री तक अत्यधिक वक्र का होना, और (तीन) अत्यधिक श्रेणीकृत क्षेत्रों में 3000 टन से अधिक भार ले जाने वाली रेल गाड़ियों का चलना । रेलवे लाईनों की टूट-फूट के ये तीन कारण हैं । रेलवे में टूट-फूट को कम करने के लिये दो उपाय यथा, रेलों की जांच की व्यवस्था और बाहरी रेलों पर अपने आप चिकनाई की व्यवस्था, किये गये हैं ।

अब ऐसा प्रस्ताव है कि भविष्य में रेलों के समय से पहले खराब होने को रोकने के लिए विशेष प्रकार की रेलों का प्रयोग किया जाये ।

हावड़ा-अमता और हावड़ा-शियाखला लाईट रेलवे के भूतपूर्व कर्मचारियों को खपाने के बारे में कहा गया कि इस सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन को अभी तक पूरा नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में विशेष मामले के रूप में सरकार उन्हें उचित ग्रेडों और श्रेणियों में खपाने के लिए सहमत हो गई है । इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने में कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न हुईं । अब इन कठिनाइयों को दूर कर दिया गया है और उन कर्मचारियों को पूर्व, दक्षिण-पूर्व और उत्तर सीमांत रेलवे के अतिरिक्त भारतीय रेलवे में उचित पदों पर खपाने के लिए विचार हो रहा है । थोड़े ही समय में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा ।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि इस पर कितना व्यय होगा, इस पर कोई व्यय नहीं होगा क्योंकि जब कभी पद रिक्त होंगे तभी उन्हें खपाया जायेगा ।

जहां तक रेल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में भारत सरकार वेतन आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय करेगी । मंत्रीमंडल द्वारा निर्णय लिये जाने के बाद रेलवे बजट में इस बारे में उचित व्यवस्था की जायेगी ।

मेत्तुपलायम-ऊटी लाईन को उखाड़ने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

यह आलोचना की गई कि पूर्व और उत्तर-पूर्व रेलवे में रेलवे सुरक्षा दल के कार्य की अकुशलता के कारण माल-डिब्बे देर से मिलते हैं । अतः इन रेलवे मे माल-डिब्बों की सप्लाई कम होती है । रेलवे सुरक्षा दल का पुनर्गठन करने के लिये विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है जो समूचे मामले की जांच करेगा । अगले कुछ ही महीनों में इस योजना को क्रियान्वित कर दिया जायेगा ।

यह तर्क दिया गया है कि आसाम मेल किउल, भागलपुर और फरक्का से होकर चलाई जानी चाहिये । इस पर आपत्ति उठाई गई है । यह निर्णया किया गया है कि 15-11-1971 से आसाम मेल फरक्का पुल से होकर चलाई जायेगी । इसी बीच आसाम और त्रिपुरा को काफी मात्रा में खाद्यान्न भेजने की आवश्यकता हुई परन्तु वर्तमान आपातकालीन स्थिति को देखते हुए

इसे लम्बित रखने का निर्णय किया गया। आसाम मेल का मार्ग बदलने में दो डीजल इंजनों की भी आवश्यकता हुई। अत: इसे मार्च, 1972 तक लम्बित रखा गया है।

जहां तक रक्षा सम्बन्धी मामलों का प्रश्न है, न तो माननीय सदस्य और न ही मैं इस विषय में विशेषज्ञ हैं। यदि रक्षा मंत्रालय कोई विशेष रेल-लाईन चाहेगा तो इसमें उससे राय ले ली जायेगी...(व्यवधान)।

मुझे यह जानकर निराशा होती है कि श्री ए० पी० शर्मा बिहार के लिये ही बोल रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार के दिन मेरी श्रमिक नेताओं से मिलने की नीति न समझ कर मुझे गलत बताने का प्रयास किया है। मैं श्रमिक नेताओं से काफी समय तक मिलता रहा हूं।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : मैंने किसी भी तरह मंत्री महोदय पर आरोप नहीं लगाया है। मैंने तो केवल उन्हें यह स्मरण कराया था कि उन्होंने श्रमिक नेताओं से मिलने के लिए शुक्रवार के दिन रखे थे। मैं यही कह रहा था कि शुक्रवार के दिन श्रमिक नेताओं से मिलने के लिये ही निर्धारित हैं।

श्री के० हनुमन्तैया : मैं श्री ए० पी० शर्मा का स्थिति करने के लिये आभारी हूं। इस सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित करते समय पत्रकारों को इस सीमा तक ही लिखना चाहिए जो जन हित एवं पत्रकारिता के हित में हो।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि प्रबन्ध में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के बारे में नीति बनाई जानी चाहिये। इस बारे में उन्हें ज्ञात होना चाहिये कि इस प्रकार की नीति श्रमिकों के समूचे क्षेत्र के लिए प्रतिपादित और क्रियान्वित की जाती है। यदि प्रबन्ध में सही मानों में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये तो इस समिति अथवा उस बोर्ड में कुछ लोगों को मनोनीत करने से कुछ नहीं होगा अपितु जो व्यक्ति श्रमिक वर्ग पर वास्तविक प्रभाव रखते हैं—उन्हें ही प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये।

हमें इस सम्बन्ध में समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। प्रबन्ध में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व तब तक नहीं हो सकता है जब तक श्रमिक अपने आपको प्रबन्धक समझते रहें और हड़ताल तथा प्रदर्शन करते रहें।

कुछ माननीय सदस्यों ने कर्मचारियों का दमन किये जाने का उल्लेख किया है। मैं किसी का दमन नहीं करना चाहता हूं। परन्तु दमन की परिभाषा के सम्बन्ध में मेरा माननीय सदस्यों से मतभेद है। यदि लोग रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुंचायें, अवैध हड़तालें करें, गाड़ियां रोकें तो ऐसा करके वे रेलवे प्रशासन को परेशान करते हैं। इसको रोका जाना चाहिए।

इस मामले में मुझे कोई प्रतिशोधात्मक कार्यवाही नहीं करनी है। जिन लोगों को दंड दिया गया है अथवा जो विभिन्न अपराधों के लिए विचाराधीन हैं उनके बारे में मैंने मजदूर संघों से कहा है कि मैं उनके साथ बैठ कर उनके मामलों की जांच करूंगा। यह बात-चीत सामान्य आधार पर होनी चाहिए।

यह कहा गया है कि तिरुनेलवेली-कन्याकुमारी लाईन को बनाने के लिये कार्य आरम्भ किया जाये। इसके लिए मीटर-गेज-लाईन बनाने पर अनुमानत: 13 करोड़ रुपये और बड़ी लाईन पर अनुमानत: 14.50 करोड़ रुपये व्यय होंगे। सर्वेक्षण में जिस यातायात का अनुमान लगाया गया है उससे इस परियोजना पर धन खर्च करने का औचित्य नहीं है।

यह भी उल्लेख किया गया है कि पोदनूर और कोयम्बतूर तक रोजाना मेत्तुपलायम से पानी की टंकियों की स्पेशल गाड़ियां, चलाई जानी चाहियें चाहे कितनी ही अधिक लागत आये। यह भी सुझाव दिया गया है कि वहां जल सप्लाई वर्क्स की स्थापना की जाये। इस सम्बन्ध में रेलवे ने योजना के क्षेत्र और ब्यौरे के बारे में निदेश दे दिये हैं। विस्तृत योजना बनाये जाने के बाद कार्य आरम्भ किया जायेगा।

बिहार की दो लाईट रेलों को बड़ी लाईनों में बदलने और सरकार द्वारा उन्हें अपने हाथ में लिए जाने को कहा गया है। आरा-सासाराम लाईट रेलवे और फतवा-इस्लामपुर लाईट रेलवे विशेष करारों के अन्तर्गत गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा चलाई जाती हैं। ठेके की शर्तों के अंतर्गत इन रेलों को खरीदने का विकल्प थोड़े-थोड़े समय बाद दिया जाता है। आगामी विकल्प के समय माननीय सदस्यों की मांगों पर ध्यान दिया जायेगा।

दक्षिण रेलवे की मद्रास-अरकोणम लाइन और दूसरे अनुभागों में बड़े पैमाने पर पटरी टूटने के बारे में कहा गया है। यह सही है कि दक्षिण रेलवे के मद्रास-अरकोणम, मद्रास-गुडुर और जालारपेट बंगलौर अनुभागों पर पटरियाँ टूटने के मामले ध्यान में आये हैं। पटरियों के ढांचों में पहले से चले आ रहे दोषों के कारण ये टूट जाती हैं। अब इसे रोकने के लिए पराश्रव्यी दोष का पता लगाने वाले यंत्र से पटरियों का परीक्षण किया जाता है। कुछ लाइनों का 1970-71 में नवीकरण किया गया है।

माननीय सदस्य ने आगे कहा कि मद्रास में महानगरीय परियोजना के लिए पर्याप्त धन आवंटित नहीं किया गया है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में सरकार ने महानगरीय परियोजनायें आरंभ करने का प्रस्ताव किया था और इस नगरों में इस कार्य के लिए महानगरीय परिवहन संगठनों की स्थापना की गई है। रेलवे संगठन की स्थापना करने का प्रश्न राज्य सरकारों द्वारा यातायात सम्बन्धी अध्ययन पूरा किये जाने के बाद उठाया। मद्रास में महानगरीय परियोजना के लिए धन की व्यवस्था की जायेगी जिसके लिए 1.4 करोड़ रुपये चौथी पंचवर्षीय में सम्मिलित किये गये हैं।

चारे के लिए माल-डिब्बों के दिये जाने के बारे में कांग्रेस (वि०) के माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है। इस प्रश्न पर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है। इस बारे में जितने माल-डिब्बे दिये जाना संभव था, उतने दे दिये गये हैं।

Shri Ram Chandra Vikal (Baghpat) : May I know when the Shahdara-Saharanpur line will be taken over ?

श्री राम सहाय पाँडे (राजनंद गांव) : मध्य प्रदेश रेलवे का क्या हुआ ?

Mr. Speaker : There is a simple demand and it should not be discussed in a general way. I Will have to ask the Business Advisory Committee for more time. We shall have to modify the old procedure of the House. All the old Parliaments in Western Europe are modifying their old procedures. Al present, we shall have to follow the Constitution. After the 24th, 25th & 26th amendments we shall have to concider about it.

अध्यक्ष महोदय द्वारा रेल मन्त्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following Demands in respect of the Ministry of Railways were put and adopted.

मांग संख्या	मांग का नाम	राशि
		रुपये
14	नई लाइनों का निर्माण-पूंजी और मूल्यह्रास आरक्षित निधि	1,000
15	चालू लाइन निर्माण-पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	30,06,000

मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषद् विधेयक

MANIPUR (HILL AREAS) DISTRICT COUNCILS BILL

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मनीपुर संघ राज्यक्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों में जिला परिषदों की स्थापना करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का उद्देश्य मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को जिला परिषदों के रूप में स्थापित करने की व्यवस्था करना है ताकि वहा के लोग महत्वपूर्ण स्थानीय मामलों की जानकारी रख सकें ।

जिन परिस्थितियों में यह विधेयक लाया गया है उनके बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूं । मनीपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य का दर्जा प्रदान करने तथा आसाम के नेफा और मिजो जिलों को संघ राज्य क्षेत्र बनाने के दृष्टिकोण से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के पुनर्गठन के प्रश्न पर सरकार का ध्यान जाता रहा है । इस क्षेत्र की विकास और सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं के समेकित हल पर भी विचार किया गया है । पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली विशेष समस्याओं पर भी विचार कर लिया गया है ।

इस सम्बन्ध में हमारा कई उपाय करने का विचार है जिनमें से यह विधेयक पहला है और उत्तर-पूर्वी परिषद् के बारे में विधेयक लाया जाना है जिससे समूचे क्षेत्र का विकास और उसकी सुरक्षा हो सके ।

मनीपुर की एक तिहाई जनसंख्या अनुसूचित आदिवासियों की है और वे पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं ।

ये पहाड़ी क्षेत्र अर्द्ध विकसित हैं और इनकी सुरक्षा की जानी है । इस सम्बन्ध में राज्य संघ क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 बनाया गया था और उस अधिनियम की धारा 52 में एक विशेष उपबन्ध मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल की समिति बनाने का था जो आदिवासियों के हितों का संरक्षण करे ।

पहाड़ी क्षेत्रों और घाटी के निवासियों की किस प्रकार सुरक्षा की जाये इस बारे में हमने वहां के प्रतिनिधियों से बातचीत की है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जो विधानमंडल की समिति है वह तो बनी रहे और संविधान में विशेष व्यवस्था करके एक स्थानीय निकाय बनाई जाय जो आदिवासियों के विकास सम्बन्धी मामले पर ध्यान दें।

राज्यविधान मण्डल में पहाड़ी क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाले जो विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं उन्हें एक समिति को भेजा जाता है। समिति की सिफारिशों पर सम्पूर्ण विधान सभा में विचार किया जाता है। यदि विधान सभा समिति से मतभेद रखती है तो विधान सभा जिस रूप में विधेयक को पारित करती है तथा समिति ने जिस रूप में विधेयक की सिफारिश की है दोनों ही को प्रशासन अधिकारी के पास भेज दिया जाता है और जिस रूप में प्रशासन अधिकारी सिफारिश करता है उसे अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। इसी प्रकार कार्यकारी क्षेत्र में जो मामले समिति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं उनके सम्बन्ध में समिति द्वारा की गई सिफारिशें मंत्रिपरिषद् को स्वीकार करनी होती है। यदि कभी मन्त्रिपरिषद इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं करती तो मामला प्रशासन अधिकारी के पास भेजा जाता है जिसका निर्णय अन्तिम होता है। हमारा इरादा है कि इन संरक्षणों को जारी रखा जाये तथा इसका उपबन्ध करने के लिए हम संविधान में संशोधन करने वाला एक विधेयक लायेंगे। हमारा यह भी इरादा है कि पहाड़ी क्षेत्रों के विकास तथा आर्थिक योजना सम्बन्धी मामलों को विधान मण्डल की पहाड़ी क्षेत्र समिति के क्षेत्राधिकार में लाकर उसके कृत्यों तथा शक्तियों को व्यापक बनाया जाये। हमारा इरादा यह भी है कि जिला परिषदों के कार्यक्रम को सुचारु रूप दिया जाये जैसा कि वर्तमान विधेयक में व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्र समिति को राज्यस्तर पर एक ऐसा मंच प्राप्त हो जायेगा जिससे पहाड़ी क्षेत्रों के लोग यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि राज्य सरकार द्वारा जिला परिषदों के कार्य में अनुचित हस्तक्षेप न किया जाये।

जब हमने संरक्षण योजना पर पहाड़ी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से बात-चीत की तो उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मणिपुर के राज्य बनने से पहले ही जिला परिषदों के गठन सम्बन्धी नियम बनाये जायें। यह विधेयक पूर्वोत्तर क्षेत्र के पुनर्गठन सम्बन्धी योजना के लिए प्रथम चरण है।

वर्तमान विधेयक इस सदन द्वारा 1956 में पास किये गये विधेयक के अनुरूप ही है जो संघ राज्य क्षेत्र मणिपुर में 1963 तक लागू रहा।

विधेयक में व्यवस्था की गई है कि पहाड़ी क्षेत्र को 6 से अधिक स्वायत्तशासी जिलों में विभाजित किया जाये। हमारा इरादा यह है कि जहां तक व्यवहार्य हो प्रत्येक मुख्य आदिम जातीय समुदाय के लिए एक पृथक स्वायत्तशासी जिला हो।

यह भी व्यवस्था की गई है कि एक जिला परिषद में 16 से अधिक निर्वाचित सदस्य तथा 4 से अधिक मनोनीत सदस्य न हों। सदस्यों के निर्वाचन के लिए एक स्वायत्तशासी जिले को कितने निर्वाचित मण्डलों में विभक्त किया जाये, यह प्रश्न प्रशासन अधिकारी द्वारा निश्चित किया जाये। मनोनीत करने का अधिकार प्रशासन अधिकारी का है। वह यदि आवश्यक समझे तो समाज के दुर्बल वर्ग से प्रतिनिधि मनोनीत कर सकता है।

पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार जिला परिषदें गठित की जायेंगी और इन परिषदों को व्यापक शक्तियां प्राप्त होंगी। ये निकाय क्षेत्रों के विकास तथा लोगों की भलाई की ओर ध्यान देंगे। अतः इनके कार्य-संचालन में स्थिरता लाई जानी चाहिये।

खण्ड 29 में जिला परिषदों के कृत्य बताये गये हैं तथा आदिम जातियों के लिए भूमिका आवंटन, अधिग्रहण तथा प्रयोग जैसे महत्वपूर्ण मामलों का समावेश किया गया है। वे प्रमुखों की नियुक्ति अथवा उत्तराधिकार, सम्पत्ति के उत्तराधिकार, विवाह, तलाक तथा आदिम जातियों के सामाजिक रीति रिवाजों से सम्बन्धित किसी विधान के बारे में सरकार से सिफारिश कर सकती हैं।

खण्ड 32 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के बारे में व्यवस्था की गई है। यह अधिकारी हमारी योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। अतः इस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिये जिसे प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हो। कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति प्रशासन अधिकारी द्वारा की जायेगी। यदि कार्यकारी अधिकारी प्रभावी सिद्ध नहीं होता तो प्रशासन अधिकारी द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। यदि अधिकांश सदस्य उनसे सन्तुष्ट नहीं हों तो जिला परिषद भी उसे हटाने की मांग कर सकती है।

विधेयक के अन्य उपबन्ध जिला परिषदों की वित्तीय व्यवस्था तथा प्रशासन अधिकारी के नियंत्रण आदि से सम्बन्धित हैं और अधिकांशतः क्षेत्रीय परिषद अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप ही हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत समूचे संघ राज्य के लिए एक प्रादेशिक परिषद की व्यवस्था है। अब हम छोटे क्षेत्रों के लिये इसी प्रकार के निकाय बना रहे हैं। ये निकाय जिला परिषदों का कार्य करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

'कि मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों में जिला परिषदों की स्थापना करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा-पूर्व) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। प्रस्तावित व्यवस्था जिसके लिए विधेयक में सुझाव दिया गया है मणिपुर की उपेक्षित जनजातियों को पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन सम्बन्धी मामलों में थोड़ा बहुत भाग लेने का अवसर प्रदान करेगी।

संविधान की छठी अनुसूची में दिये गये उपबन्ध के अनुरूप क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए त्रिपुरा के आदिवासी लोग अपनी जो उचित और वैध मांग कर रहे हैं उनकी इस आवाज को त्रिपुरा के बहुसंख्यक गैर-आदिवासी लोगों की सशक्त आवाज रोक रही है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के लिए भी इसी प्रकार का एक विधान पेश करें।

वर्तमान विधेयक में जिला परिषद के कार्य संचालन की ओर मणिपुर के आदिवासी लोगों के विशेषकर भूमि में, सेवाओं में और अन्य मामलों में जो बहुत ही सीमित हैं, हितों की रक्षा करने की शक्तियों का सीमित क्षेत्र रखा गया है। इस परिषद को एक असहाय बच्चे के रूप में रखा गया है। जिसे मणिपुर के आदिवासी क्षेत्र के लिये छोटे से विकास कार्य हेतु प्रशासक की कृपा दृष्टि पर निर्भर रहना पड़ता है।

विधेयक में आदिवासी लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। साथ ही प्रशासन अधिकारी को अधिकार दिया गया है कि वह चार सदस्य मनोनीत कर सकता है।

ऐसा किस लिये आवश्यक है ? इसका अभिप्राय यह है कि परिषद में लोगों को चोर दरवाजे से आने दिया जा रहा है या उन लोगों को आने दिया जा रहा है जो प्रशासक या सत्तारूढ़ दल के कृपा पात्र सिद्ध हो सकें ।

इस विधेयक में नौकरशाही द्वारा परिषद के कार्यकरण में हस्तक्षेप करने की पर्याप्त सुविधा है ।

आदिवासियों की समस्या राष्ट्रीय समस्या है जिसका समाधान समग्र रूप में करना है न कि खण्डशः । यह एक स्वीकृत तथ्य है कि आदिवासी लोग, विशेषकर सीमा पर रहने वाले लोग विभिन्न क्षेत्रों में न केवल वर्गीयदमन से पीड़ित हैं अपितु उन्नत लोगों के हाथों में उनका राष्ट्रीय-दमन हो रहा है । इस दमन से छुटकारा दिलाना देश का सर्वोपरि कर्त्तव्य है । देश में सभी वर्गों के साथ, चाहे वे छोटे हों अथवा बड़े, समान व्यवहार किया जाना चाहिए । यही कारण है कि हमारा दल भाषायी आधार पर राज्यों के गठन तथा देश के विभिन्न भागों में आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को क्षेत्रीय स्वायत्तता देने का समर्थक है । इसी कारण हम यह विश्वास करते हैं कि वास्तविक समानता तथा स्वायत्तता के आधार हर ही देश की एकता को बनाये रखा जा सकता है । इसके साथ अलगाव की सभी मांगों का हमने विरोध किया है । राष्ट्रीय समस्या को यदि आप हल करना चाहते हैं तो इसी प्रकार की जा सकती है । त्रिपुरा के निवासी भी मणिपुर निवासियों जैसी मांग कर रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा आन्दोलन भी किया है परन्तु आप उनकी बात से सहमति प्रकट नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह विषयसंगत नहीं है ।

श्री दशरथ देव : यह विषयसंगत है । यदि नहीं है तो यह विधेयक क्यों लाया गया है । यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसे निपटाये बिना देश का विकास नहीं हो सकता ।

जिला परिषदों के सदस्य मनोनीन करने का जो अधिकार प्रशासन अधिकारी को दिया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं ।

अनुसूचित क्षेत्रों में जो भूमि है वह आदिवासी लोगों के लिये ही उपलब्ध होनी चाहिये । अनुसूचित जातियों को छोड़कर अन्य किसी जाति के लोगों को यह भूमि उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिये ।

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : मणीपुर के आदिवासी लोग यह समझते हैं कि विभिन्न प्रकार से उनकी उपेक्षा की जा रही है । मैदानी इलाकों से लोग आदिवासी लोगों के क्षेत्रों में जाते हैं और उनकी अशिक्षितता तथा सरलता का अनुचित लाभ उठाकर उनकी भूमि पर अधिकार कर लेते हैं । इसलिये उचित ही है कि वे एक पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं और नागालैंड में सम्मिलित होना चाहते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि केन्द्रीय सरकार को इस क्षेत्र को नागालैंड में सम्मिलित करने में क्या कठिनाई हो रही है जबकि भाषा एक है और उनके धर्म तथा रीतिरिवाजों में भी समानता है ।

सरकार को मैदानी आदिवासी लोगों की मांग भी पूरी करनी चाहिये । वे इसलिये एक पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं कि वे अपने लिए एक क्षेत्रीय परिषद बनाना चाहते हैं ।

मनोनीत करने की पद्धति ऐसी है जैसे किसी को चोर दरवाजे से प्रवेश कराना हो। यह सब मैदानी क्षेत्रों के आदिवासियों के हितों के लिये ही किया जा रहा है। हो सकता है कि इसमें केन्द्रीय सरकार का भी हित हो। किन्तु जो लोग अपनी भूमि, संस्कृति, रीति-रिवाज तथा अस्तित्व के लिये लड़ रहे हैं उनके हितों का क्या होगा? उनकी मांग को भी पूरा किया जाना चाहिये तथा उन्हें नागालैंड में शामिल किया जाना चाहिये। मनोनीत करने की पद्धति को पूर्ण-तया समाप्त किया जाना चाहिये।

पंडित गोबिन्द बल्लभ पंत जब केन्द्र में गृह मंत्री थे तब उन्होंने भ्रमण करने वाले आदि-वासियों के लिये एक जांच समिति नियुक्त की थी और मुझे समिति का सदस्य होने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय मैंने अधिकारियों को बताया था कि आदिमजातीय लोगों के प्रति सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आदिमजातीय लोगों की अवहेलना की जा रही है जंगली जानवरों की भांति उनकी उपेक्षा की जा रही है। उनकी स्थिति आज भी वही है जो 1958 में थी बल्कि उससे भी बुरी है।

आदिमजातीय विकास खण्डों की स्थापना के पश्चात सड़कें बनायी गयी हैं, मकान बनाये गये हैं तथा स्कूल बनाये गये हैं। एक कालिज की स्थापना भी की गयी है। परन्तु इन स्कूलों और कालिजों में आदिमजातियों के छात्र कितने हैं। कालेजों में केवल एक प्रतिशत और स्कूलों में 3 प्रतिशत। इन स्कूलों और कालेजों के लिये केन्द्रीय सरकार से धन राशि प्राप्त होती है और इसे आदिमजातियों के विकास के नाम में व्यय किया जाता है परन्तु इससे लाभ गैर-आदिमजातियों को होता है। इस वर्ष की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आज भी वे लोग जंगली हैं।

सरकार द्वारा जो यह पग उठाया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस समस्या को समग्र रूप से देखना चाहिये, खंडश. नहीं। आदिमजातियों के रीति-रिवाज, संस्कृति तथा अर्थ-व्यवस्था को संरक्षण दिया जाना चाहिये। सरकार की कथनी तथा करनी में सामंजस्य होना चाहिये। माननीय राज्य मंत्री इस समस्या की ओर ध्यान देंगे तथा अपने स्वर्गीय पिता की भाँति ही व्यापक दृष्टिकोण से समस्या का समाधान करेंगे, तभी हमें समस्या के समाधान की आशा हो सकती है।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मनिपुर)। मुझे इस विधेयक का समर्थन करने में बड़ी प्रसन्नता अनुभव होती है। मंत्री महोदय ने विधेयक की पृष्ट भूमि का ब्यौरा दिया है तथा अब यह विधेयक सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मंत्री महोदय तथा प्रधान मंत्री को मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों की समस्या जानने में बड़ी कठिनाई हुई है। यह विधेयक इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि समस्या का सुन्दर ढंग से अध्ययन किया गया है तथा कठिनाइयों को सुन्दर ढंग से निपटाने का प्रयत्न किया गया है।

वास्तव में मणिपुर एक अत्यन्त विशिष्ट क्षेत्र है और इसकी तुलना भारत के अन्य क्षेत्रों से करना बड़ा कठिन है। मणिपुर राज्य मुख्य रूप से दो भागों में बंटा हुआ है—एक घाटी तथा दूसरा पहाड़ी क्षेत्र। घाटी वाला क्षेत्र केवल 700 वर्गमील से थोड़ा अधिक है तथा पहाड़ी क्षेत्र 8,000 वर्गमील है। मणिपुर राज्य के लगभग तीन चौथाई लोग इस 8,000 वर्गमील

के क्षेत्र में रहते हैं। मणिपुर के लोग, चाहे वे घाटी में रहते हों अथवा पहाड़ियों में, मूलतः वे एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि कुछ देर पहले सदन ने निर्णय किया है, हमें एक अन्य विधेयक पर 12 बजे विचार करना है। यदि आप चाहें तो आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

आपात जोखिम (माल) बीमा विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव

EMERGENCY RISKS (GOODS) INSURANCE BILL—MOTION TO CONSIDER

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि आपात जोखिमों से होने वाले नुक्सान के विरुद्ध भारत में माल के बीमे के लिये तथा उसके आनुषंगिक अथवा उससे सम्बद्ध विषयों के लिये कतिपय उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है और इसके पारित होने से उद्योग और व्यापार में आस्था उत्पन्न होगी विशेषतया सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि 1962 में चीन के आक्रमण के पश्चात संसद ने आपात संकट (माल) बीमा विधेयक और आपात संकट (उपक्रम) बीमा विधेयक को पारित करके उन्हें अधिनियम का रूप दिया।

उनमें क्रमशः बिक्री के लिये अथवा कारखानों को सप्लाई करने के लिये रखे गये माल को नुक्सान अथवा क्षति से होने वाले आपात संकट के विरुद्ध अनिवार्य बीमा का उपबन्ध किया गया है। ये अधिनियम और उनके अन्तर्गत अधिसूचित संबंधित योजनायें आपातकाल के दौरान जो 10 जनवरी, 1968 को हटाई गई, लागू रही थी। पाकिस्तान के साथ वर्तमान तनाव को, जिसके कारण आपातकालीन स्थिति की घोषणा अब की गई है, देखते हुए इस विधान को शीघ्र ही कानूनी रूप देना आवश्यक हो गया है। वर्तमान विधेयक का प्रयोजन, जैसाकि 1962 के विधेयक का प्रयोजन था, सीमावर्ती क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण देश में वाणिज्य और उद्योग कार्य को बराबर जारी रखना है।

यह विधेयक 1962 के आपात संकट (माल) बीमा अधिनियम का पूरी तरह से अनुसरण करता है। इसके क्रियान्वयन के दौरान दिक्कतों और व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये कुछ एक परिवर्तन किये गये हैं। यह विधेयक सरकार को समय-समय पर प्रीमियम की दरों को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार का स्वविवेक होना आवश्यक है और वस्तुतः यह बीमा सिद्धान्तों के अनुरूप है। प्रीमियम की दर पर 3 प्रतिशत की उच्चतम सीमा नियत की गई है। परन्तु सरकार तब तक उस उच्चतम सीमा पर दरें निर्धारित नहीं करेगी, जब तक कि ऐसा करना अनिवार्य नहीं हो जाता। प्रीमियम की दर उचित दर से अधिक निर्धारित नहीं की जायेगी, दूसरे शब्दों में यह कर लगाने का विधेयक नहीं है।

इस विधेयक में विशेष रूप से यह उपबन्ध किया गया है कि कोई भी दावा तब तक देय नहीं होगा, यदि सम्बन्धित माल के शत्रु द्वारा नष्ट किये जाने अथवा उस पर कब्जा किये जाने के पश्चात ही सम्बन्धित अवधि का प्रीमियम दिया जाता है। प्रीमियम की बकाया राशि को वसूल कर लेने मात्र से ही पालिसी धारक को पूर्व तिथि से बीमे का हकदार नहीं बनाया जायेगा। एक अन्य परिवर्तन जो किया गया है वह आवश्यक प्रशासनिक कार्य से दूर रहना है। अधिक दिये गये अथवा गलती से दिये गये प्रीमियम की वापिसी के लिये आवेदन-पत्र देने की समयावधि 6 महीने रखी गई है।

एक प्रश्न यह है कि उन हानियों के सम्बन्ध में क्या किया जायेगा जो आक्रमण होने के दिन से लेकर इस योजना के लागू होने के दिन तक हुई है? विधि के अन्तर्गत कोई उपबंध बनाना मेरे लिये अत्यन्त दुष्कर कार्य है लेकिन सरकार इन लोगों की सहायता देने हेतु अनुग्रहात अनुदान देने पर निश्चय ही कुछ सिद्धान्तों के आधार पर कार्य करेगी ताकि वे इससे बिल्कुल वंचित न रहें।

कृषकों की फसल के बीमा के सम्बंध में, सरकार सावधान रहेगी, क्योंकि ये लोग देश की खातिर बलिदान कर रहे हैं और हानि भी उठा रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार बहुत ही सतर्क और जागरूक रहेगी और कुछ सीमा तक उदारता भी बरतेगी ताकि उनकी हानियों को पूरा किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि आपात जोखिमों से होने वाले नुक्सान के विरुद्ध भारत में माल के बीमे के लिये तथा उसके आनुषंगिक अथवा उससे सम्बद्ध विषयों के लिये कतिपय उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

हमें प्रक्रियात्मक कठिनाई का थोड़ा सा अनुभव करना पड़ा था, अतः मैंने इस प्रस्ताव को नियम 388 के अंतर्गत उठाने की अनुमति दी है क्योंकि यह विधेयक अत्यन्त आवश्यक है और इसे जितनी जल्दी पारित कर दिया जाये, अच्छा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आपात स्थिति की घोषणा किये जाने का आज पांचवा दिन है। इस सरकार का रूख, इसका विशेष चरित्र इस तथ्य से आसानी से देखा जा सकता है कि पहले उसने भारत रक्षा अधिनियम बनाया जिससे वे अपार शक्तियां लेकर अपने अपने राजनीतिक विरोधियों पर हावी हो सकें, उन्हें गिरफ्तार कर सकें।

[**Mr. Deputy-Speaker** *in the Chair*
उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस विधेयक के अध्ययन के लिये सदस्यों को समय नहीं दिया गया है और वास्तव में हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सरकार क्यों एक व्यापक असैनिक सुरक्षा विधेयक पेश नहीं करती? मुझे हैरानी है कि क्या सरकार ने पूरी गम्भीरता से समूची समस्या का अध्ययन किया है? वैयक्तिक आघात विधेयक के बारे में क्या स्थिति है? प्रतिरक्षा सेवाओं को मिला कर लोगों को आपात काल की अवधि के दौरान उन्हें होने वाली किसी क्षति अथवा आघात के लिये उनको व्यापक रूप से इसमें शामिल किया जाना चाहिये। हम चाहते हैं कि इस संबंध में सरकार

अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करे। क्या सरकार ने क्षति की मात्रा और मृतकों की संख्या का अनुमान लगाया है।

हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस सारे काम को अपने प्रशासनिक तंत्र पर ही क्यों दे दिया है जबकि राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा को यह काम सौंपा जाना चाहिये था जिसके पास प्रशिक्षित व्यक्ति इस काम को करने के लिये उपलब्ध हैं। सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है।

कुछ महत्वाकांक्षी चालाक लोगों द्वारा अधिक बीमा कराने के प्रति सरकार को सचेत रहना है। इस विधेयक के अंतर्गत वे बड़े धनवान ही आते हैं जिनके पास बड़ी परिसम्पत्तियां, कारखाने अथवा उद्योग हैं। सरकार के पास साधारण व्यक्तियों के लिये धन नहीं है। सरकार साधारण लोगों, विशेषकर मजदूरों के रोजगार और घर-बार सम्बन्धी वित्तीय तथा अन्य हितों की रक्षा कैसे करेगी ? अतः फसल का बीमा अवश्य किया जाना चाहिये। सरकार की सामान्य बीमा योजना बड़े बागानों को ही प्रश्रय दे रही है।

छोटी सम्पत्तियों के संबंध में प्रीमियम की दरें कम होनी चाहियें और उसके लिये सहायता भी दी जानी चाहिये क्योंकि राष्ट्र को कुछ ऐसे लोगों की हानि तो देनी ही चाहिये जिनको आपात काल में कुछ हानि उठानी पड़ेगी। थोड़ी सम्पत्ति के मालिक समय पर प्रीमियम को पेशगी देने में असमर्थ होंगे। अतः इसका उल्लेख करने की जरूरत नहीं है।

प्रीमियम का भुगतान किश्तों में होना चाहिये, क्योंकि थोडी सम्पत्ति वाला व्यक्ति समूची धनराशि पेशगी नहीं दे सकता है। अतः सरकार को इस संबंध में विचार करना चाहिये और इस सभा को अभी बताना चाहिये कि वे थोड़ी सम्पत्ति वाले लोगों को प्रीमियम की पेशगी को किश्तों में स्वीकार करेंगे तथा कुछ अन्य रियायतें भी प्रदान करेंगे जैसे कतिपय मूल्य से कम छोटी परिसम्पत्तियों के बारे में सरकार को सहायता देनी चाहिये।

वैयक्तिक क्षति आपात उपबन्ध विधेयक के बारे में वित्त मंत्री हमें बतायें कि क्या वह वैयक्तिक क्षति, जिसमें सिविल कर्मचारी और रक्षा सेवाओं के लोग आते हैं, उनकी क्षति, मृत्यु, सम्पत्तियां और घर-बार शामिल हैं की पूर्ति हेतु एक विधेयक पेश करेंगे ? उस विधेयक में रोजगार के छिन जाने पर कोई व्यवस्था होनी चाहिये तथा किसी सीमा तक आजीविका की भी व्यवस्था होनी चाहिये।

इस युद्ध में उन कुछ लोगों को जिनको नुक्सान पहुँचा है, पूरे राष्ट्र को क्षति का मुआवजा देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है कि सदस्यों को विधेयक पर विचार करने के लिये समय नहीं दिया गया था लेकिन यह अविलम्ब स्थिति का सामना करने के लिये एक आपाती विधेयक है। दो विधेयक हैं और प्रत्येक विधेयक पर चर्चा के लिये एक घण्टा नियत किया गया है।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad] : Crop Insurance and cattle Insurance are of great importance. Crop is our national property without which our farmers will be ruined. Crop Insurance and cattle Insurance is of vital importance in the Western Sector which is very sensitive. Therefore in the rural areas of Western Sector, it is essential to have insurance of cattle and crop.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : I want to say that crop and cattle insurance should be introduced in the western sector only.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। आपत्ती-कालीन जोखिम बीमें की व्यवस्था करना अनिवार्य है। इस विधेयक के पास होने से पहले नष्ट हुई सम्पत्ति के बारे में क्या व्यवस्था की गयी है? इसके लिये अवश्य ही कोई व्यवस्था की जानी चाहिये। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का जीवन हर समय खतरे में रहता है। सरकार ने इनका बोझ अनिवार्य रूप से कम करने के लिये क्या कदम उठाये हैं। सीमा के लोगों को हर समय दुश्मन की गोली का शिकार बनने का खतरा बना रहता है। ये लोग सरकार से सुरक्षा चाहते हैं।

अब सामान्य बोझ कारोबार सरकार के हाथ में है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक के पास होने से पहले सम्पत्ति को हुई हानि के बारे में कोई आश्वासन दें।

***श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरि) : अपने दल की ओर से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। सरकार पर आरोप लगाया गया है कि इसने जल्दबाजी में इस विधेयक को प्रस्तुत किया है, लेकिन ऐसे समय में इस प्रकार के आरोप लगाना अनुचित है। इस विधेयक का सदन में सबको समर्थन करना चाहिये क्योंकि यह बहुत उपयोगी है।

धारा 5 के अधीन बीमा किये गये माल के 80 प्रतिशत मूल्य की अदायगी करना केन्द्रीय सरकार का दायित्व है। 50,000 रुपए से अधिक के मूल्य के माल सम्पत्ति का बीमा हो सकता है। मेरे विचार में दायित्व की यह सीमा घटाकर 60 प्रतिशत की जानी चाहिये।

धारा 6 के बारे मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस विधेयक के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए अंतिम निर्णय ले लिया है? धारा 9 को इस विधेयक में शामिल करना मेरे विचार में अनावश्यक है।

यदि योजना 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के माल पर लागू होनी है तो इसे अनिवार्य क्यों बनाया गया है। यह योजना स्वेच्छा के आधार पर लागू होनी चाहिए, सरकार के दबाव से नहीं। देश की अर्थव्यवस्था के हित में इस उपाय का समर्थन होना चाहिए। लेकिन सीमावर्ती लोगों के लिए फसल बीमा योजना को भी शीघ्र ही लागू किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी।

Dr. Kailas (Bombay-South) : I rise to support this Bill. The Finance Minister has introduced this Bill to create confidence in the counrty. I admit that crops and catltles should be insured. Of course, it is not possible to assess the value of crops for the purpose of insurance. However, farming is our biggest industry and cattle are our propery. Among other things, the hon. Minister said that those cases would not be considered in which there was late payment of premium and that loss had been sustained. But inspite of that, he said, the Government would take into consideration the facts like the importance of the goods involved, etc. This measurs was necessary this juncture.

Shri R. V. Bade (Khargone) : I rise to support this Bitl. There are some difficulties regarding fixing and recovery of premium from the farmers who are mostly poor. The Government should consider the losses of crop and cattle suffered by the farmers which can be assessed in a different way if it is not possible to do so through this Bill.

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based in English translation of the speech delivered in Tamil.

I want to know the reasons for which this scheme is not going to the iumplemented for the cases below Rs 50, 000. Proivision should also be made to insure the property and residential quarters of the workers.

श्री एच० एम० पटेल (ढ़ंढुका) : इन विधेयकों का निश्चय ही स्वागत होना चाहिए लेकिन इनके अन्दर वे सब बातें नहीं आयीं, जो आनी चाहियें थीं। (मंत्री महोदय ने कहा है कि वे मुआवजा देने के सिद्धान्त बना रहे हैं और ये मुआवजे सिद्धांतों के अनुसार ही दिये जायेंगे। माल के बीमे का काम बहुत मुश्किल है। अधिकांश माल का बीमा नहीं होगा और अनुग्रहपूर्वक अदायगी करनी होगी। खड़ी फसलों और मकानों का बीमा करना निस्सन्देह बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसके द्वारा उन लोगों की सहायता की जा सके जिनका नुकसान होता है।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : श्री ज्योतिर्मय बसु को छोड़कर अधिकांश सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया है। हमारी इच्छा यही है कि इस विधेयक को यथाशीघ्र पारित किया जाए। फसलों के बीमे का प्रश्न भिन्न है, जिस पर पृथक रूप से विचार किया जा सकता है, किसानों को बीमे की किस्तें देने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में फसलों और मकानों के नुकसान के लिए सन् 1965 की तरह हमने अनुग्रहपूर्वक अदायगी करने का निर्णय किया है।

हम वैयक्तिक क्षति अधिनियम, 1962 में संशोधन ला रहे हैं ताकि इसे वर्तमान आपत-कालीन स्थिति के लिए लागू किया जा सके।

हम हर मामले में 80 प्रतिशत अदायगी नहीं करेंगे। स्थिति के अनुसार हम 50 प्रतिशत से कम भी अदायगी कर सकते हैं। 80 प्रतिशत की तो हमने सीमा निश्चत की है।

आपत्तकालीन स्थिति में सरकार के पास कुछ अधिक शक्ति होनी चाहिए। हम इस ओर बड़ी सावधानी से कदम बढ़ाते आ रहे हैं।

हम सारी अनुग्रहपूर्वक अदायगियों के सिद्धांतों के अनुसार ही लागू करेंगे। सदस्यों के पास सचमुच इस विधेयक के पढ़ने के लिए कम समय था लेकिन यदि किसी सदस्य के पास कोई और सुझाव है तो मैं इसके लिये संशोधन प्रस्तुत करूंगा।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : Will the cases of those farmers be considered whose crops have been occupied by the army, whose crops have been ruined and who will not be in a position to sow rabi crops ?

Shri Yashwantrao Chavan : I think they will be considered.

श्री पटेल का कहना था कि इन व्यक्तियों को आपत कालीन स्थिति के कारण हानि हुई है। उन्हें इस सम्बन्ध में राहत देने का हमारा कर्त्तव्य है।

फसलों के बारे में मैं स्पष्टीकरण कर चुका हूं। जहां तक मशीनरी का प्रश्न है मैं अगले विधेयक में यह प्रस्ताव करूंगा कि सम्पत्ति में संयंत्र मशीन आदि भी सम्मिलित हैं।... **(व्यवधान)...**

डा० रानेन सेन (बारसाट) : इस विधेयक में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उस क्षेत्र में रहने वाले श्रमिकों के साथ यदि कोई दुर्घटना होती है तो क्या किया जायेगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह प्रश्न पृथक है। इस मामले पर वैयक्तिक क्षति अधिनियम के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है। मैंने निवेदन किया है कि सरकार उनमें संशोधन करना चाहती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात् शीघ्र ही उस भोजन को अधिसूचित कर दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आपात की जोखिमों से होने वाले नुकसान के विरुद्ध भारत के माल के बीमे के लिए तथा उसके आनुषंगिक अथवा उससे सम्बद्ध विषयों के लिए कुछ उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2-(परिभाषा)

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : मैं अपना संशोधन संख्या एक प्रस्तुत करता हूं। मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि खड़ी फसलों को भी इसमें सम्मिलित किया जाये जिससे त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल आदि स्थानों पर पाकिस्तान द्वारा की जा रही गोलाबारी के कारण नष्ट होने वाली खड़ी फसलों का भी बीमा हो सके।

मैंने स्वयं देखा है कि जिनकी फसलें नष्ट हुई हैं उनको प्रशासनिक अधिकारी केवल 10 या 20 रुपये दे देते हैं जिससे उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती। अतः मेरा सुझाव यह है कि जो व्यक्ति अपनी खड़ी फसलों का बीमा कराना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाये और इसे अनिवार्य न बनाया जाये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि यह पूरी योजना अनिवार्य है। अतः इस संशोधन को स्वीकार करने से कोई लाभ नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या एक मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. One was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड—4

श्री यशवन्त राव चव्हाण : विधेयक में मुद्रण सम्बन्धी कुछ त्रुटियां हैं। अतः मैं मौखिक संशोधन प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4, पंक्ति 41,—

"or" शब्द **के स्थान पर** 'of' शब्द **रखा जाए** (2)

पृष्ठ 5, पंक्ति 3,—

'or' शब्द **के स्थान पर** 'of' शब्द **रखा जाये** (3)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

पृष्ठ 4, पंक्ति 41,—

'or' शब्द **के स्थान पर** 'of' शब्द **रखा जाये**। (2)

पृष्ठ 5, पंक्ति 3,—

'or' शब्द **के स्थान पर** 'of' शब्द **रखा जाये**।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4, as amended was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खड 5 से 17, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 5 से 17, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 5 to 17, clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

—————

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव

MOTION UNDER RULE 388

आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा विधेयक के बारे में नियम 66 के परन्तुक का निलम्बन

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 66 के परन्तुक को, जहां तक यह आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा विधेयक, 1971 पर विचार किए जाने तथा उसे पास करने से सम्बन्धित प्रस्तावों पर लागू होता है निलम्बित करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 66 के परन्तुक को, जहां तक यह आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा विधेयक 1971 पर विचार किए जाने तथा उसे पास करने से सम्बन्धित प्रस्तावों पर लागू होता है निलम्बित करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा विधेयक

EMERGENCY RISKS (UNDERTAKINGS) INSURANCE BILL

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आपात जोखिमों में होने वाले नुकसान के विरूद्ध भारत में कतिपय सम्पत्ति के बीमे के लिये तथा उसके आनुषंगिक अथवा उससे सम्बद्ध विषयों के लिए कुछ उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

'माल' से सम्बन्धित विधेयक पर मैंने जो तर्क दिये थे इस विधेयक के बारे में भी मेरे वही तर्क हैं। अतः मैं उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मन्त्री महोदय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या सामान्य बीमा नीति में सभी व्यापार को सम्मिलित किया जायेगा। दूसरे, उद्योगों तथा सहायक उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की क्षति के बारे में विधेयक में समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। सरकार ने किसानों की खड़ी फसल का बीमा करने की व्यवस्था न करके गरीब किसानों की उपेक्षा की है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने खड़ी फ़सल को उपक्रम के अन्तर्गत क्यों नहीं रखा? क्या कृषि उपक्रम नहीं है? इस प्रकार सरकार गरीब और अमीर के बीच भेदभाव बरत रही है।

क्या नागरिक सुरक्षा सम्बन्धी अनुमान तैयार कर लिये गये हैं? हताहतों की संख्या कितनी है तथा तत्सम्बन्धी अनुमान क्या है?

*श्री ई० आर० कृष्णन (सलेम) : सरकार ने देश में विद्यमान आपात कालीन स्थिति के दौरान यह विधेयक लाकर सराहनीय कार्य किया है। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस योजना के अन्तर्गत तेल शोधक कारखाने तथा इस्पात कारखाने जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी सम्मिलित किये गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था में इन उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए इनको इस योजना के अन्तर्गत रखना चाहिये।

मेरा सुझाव है कि प्रीमियम की अधिकतम दर को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाये क्योंकि बड़े-बड़े पूंजीपति, जिनके उपक्रमों में करोड़ों रुपये लगे हुये हैं, इतना प्रीमियम दे सकते हैं।

मैं यह भी सुझाव देता हूँ कि विधेयक के खंड 6 को निकाल दिया जाये क्योंकि उसमें इस योजना के अन्तर्गत सामान्य बीमा द्वारा बीमा कराने की मनाही की गई है। सामान्य बीमा तथा जीवन बीमा दोनों का राष्ट्रीयकरण किया गया है अतः बीमा कराने वाली कोई गैर-सरकारी एजेंसी ही नहीं है।

खंड 10 में किसी सम्पत्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाये जाने पर सरकार द्वारा स्थानान्तरण की लागत दिये जाने की व्यवस्था है। मेरे विचार से देश में आपतकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुये इस उदारता की आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूँ।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : मैं माननीय मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि इस विधेयक को पहले क्यों नहीं लाया गया जबकि आपत कालीन स्थिति की घोषणा से पहले ही सीमाओं पर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी ?

कुछ उपक्रम ऐसे हैं जिनपर यह घोषणा सामान्य स्थिति में भी लागू हो सकती है। नौवहन उद्योग इसका एक उदाहरण है। अतः मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के उपक्रमों का युद्ध जोखिम बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा सामान्य स्थिति में भी किया जाना चाहिए तथा मेरे विचार से इन उपक्रमों को अतिरिक्त प्रीमियम देने में कोई आपत्ति भी नहीं होगी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : डी० एम० के० के माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है कि किसी मशीन आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये सरकार को उसके स्थानान्तरण का व्यय वहन नहीं करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि ऐसी स्थिति में औद्योगिक उत्पादन का बहुत महत्व होता है। इसी दृष्टिकोण से यह व्यवस्था की गयी है।

श्री बसु के प्रश्न के उत्तर में मेरा निवेदन है कि सरकारी विभाग ही इस कार्य को चलायेगा। जहां तक सामान्य बीमा विभाग का प्रश्न है अभी सरकार ने उसके प्रबन्ध को अपने हाथ में लिया है। अभी इस विभाग को निगमों का रूप देना है तथा पूरा स्वामित्व अपने अधिकार में लेना है।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

नागरिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यय के बारे में अभी अनुमान बताना कठिन है। विधेयक से संलग्न ज्ञापन में मैंने उल्लेख किया है कि इस बात से संबधित आंकड़े प्रस्तुत करना कठिन है कि उपक्रमों को कितना घाटा होगा तथा कितने व्यक्तियों की क्षति होगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि प्रीमियम की दर निर्धारित करते समय उनके विभाग ने कुछ आधारभूत आंकड़े सामने रखें होंगे।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निश्चिय ही प्रीमियम की दर निर्धारित करते समय कुछ आधार माना होगा। वह 1962 और 1965 की घटनाओं के अनुसार कोई आधार सामने रखा होगा तथा वह आधार औचित्य पूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आपात जोखिमों से होने वाले नुकसान के विरूद्ध भारत में कतिपय सम्पत्ति के बीमे के लिए तथा उसके आनुषंगिक अथवा उससे संबद्ध विषयों के लिये कुछ उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करता हूं। मैं मन्त्री महोदय द्वारा कृषि के बारे में दिये गये स्पष्टीकरण से सहमत हूँ किन्तु इस बात से सहमत नहीं हूं कि चाय बागान के साथ रबड़, काफी और इलायची बागान को सम्मिलित न किया जाये। दक्षिण भारत पर आक्रमण होने पर इस सम्पत्ति को भारी क्षति होगी। अतः विधेयक में इसके बारे में भी व्यवस्था होनी चाहिये। यही बात वहां के श्रमिकों पर भी लागू होती है कि किसी अनहोनी घटना के समय उनको बेरोजगार न रहना पड़े।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वास्तव में मैंने संशोधन देखा ही नहीं है अतः स्थिति में कोई स्पष्टीकरण देना कठिन है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन 1 और 2 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments No. 1 and 2 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 18, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 18, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 18, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 9 **दिसम्बर**, 1971/18 अग्रहायण 18)3 (शक) **के दस बजे तक के लिये** स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Ten of the Clock on Thursday, **December** 9, **1971/Agrahayana 18, 1893 (Saka).**

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.